

31/8/2021

2

पत्रावली पेश हुई। याचिका कमलाबाई एवं इनके अधिकार
श्री कमलेश मोगी द्वारा साक्षीपत्र प्रस्तुत कर साक्षी
पत्र प्रकरण को विद्धे किया जाने से पत्रावली सीगर्ट
तुलब की गई। साक्षीपत्र प्रकरण में अब और आगे
कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रत्येक
साक्षीपत्र स्वीकार प्रकरण को विद्धे की अतुमति से
जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
से इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। पत्रावली के रजल
सुभार होकर नम्बर से कम है।

370 मि


कमलाबाई

अध्यापक अधिकारी
द्वारा

